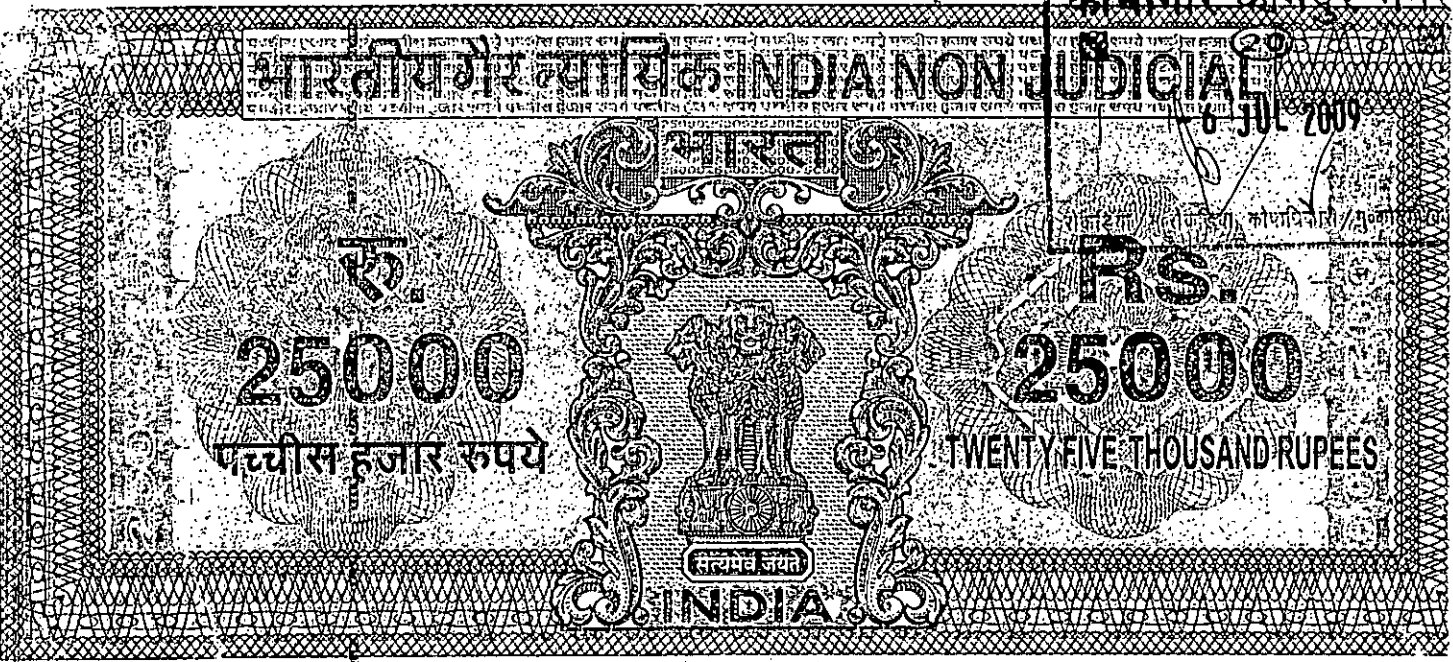


2065 (17)

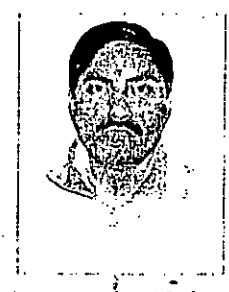
कोषागार कानपुर नगर
8 JUL 2009



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 266502

सं. २१९१



- | | |
|---|---|
| कार्यालय का नाम | उप निबन्धक, जोन नं. 2, कानपुर नगर |
| (1) प्रस्तुत दिनांक | 9-7-2009 |
| (2) निष्पादन दिनांक | 8-7-2009 |
| (3) लेखपत्र का प्रकार | विक्रय पत्र |
| (4) प्रतिफल | रुपया 9,00,000/- |
| (5) बाजारी मूल्य | रुपया 29,91,650/- |
| (6) प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता | रा. प्रकाश वयस्क पुत्र स्वर्गीय
बैजनाथ निवासी ग्राम नारामऊ बांगर, कानपुर नगर |

रामप्रकाश वयस्क

— an —



200 Yards East

— 200 Yards East

- (7) क्रेता/विक्रेता पक्ष में : रतन कालोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 7/141 ए-3, स्वर्ण नगर कानपुर नगर द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता धनंजय विवासी वयस्क पुत्र श्री रमेश चन्द्र विवासी निवासी 7/141 ए-3, स्वर्ण नगर कानपुर नगर (अधिकृत द्वारा प्रस्ताव जो बोर्ड आफ़ डायरेक्टर की मीटिंग दिनांक 1-7-2009 को सर्वसम्मति से पारित हुआ)

(8) सम्पत्ति का विवरण :

(1) स्थान

: ग्राम नारामऊ, बोगर, परगना व तहसील

जिला कानपुर नगर

(2) खाली नं०/चक नं०

: खाली संख्या 00087 की आराजी संख्या 3

मि. क्षेत्रफल 0.359 हेक्टर का 1/6वां

भाग क्षेत्रफल 0.05983 हेक्टर अर्थात

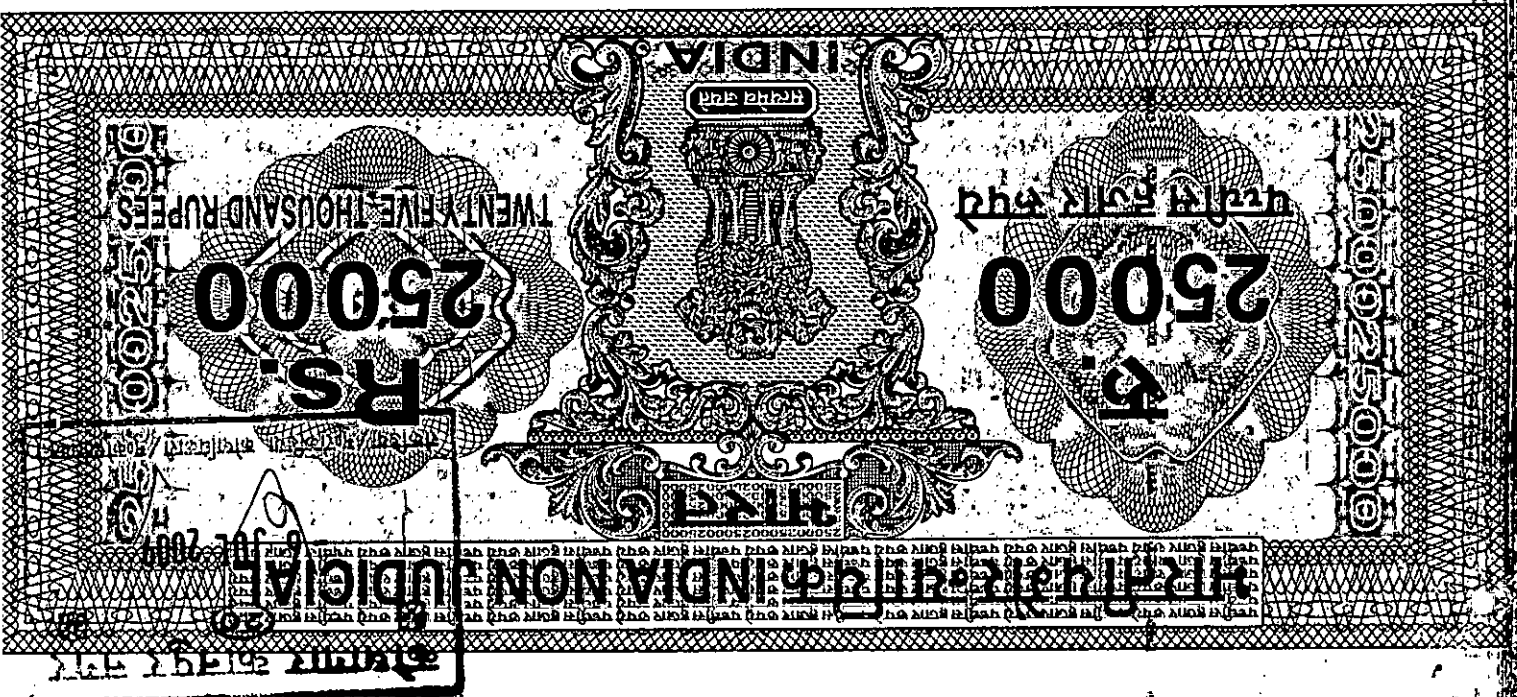
598.33 वर्गमीटर

(3) आच्छादित क्षेत्रफल

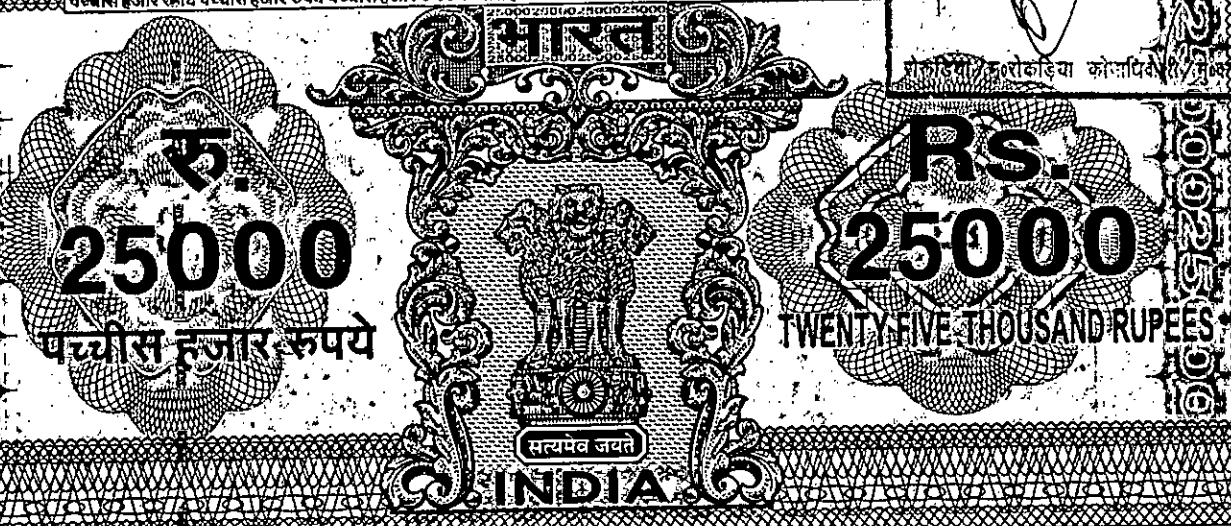
: लगभग नही है

21/11/2009

21/11/2009



भारतीय गैरन्यायिक INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 266505

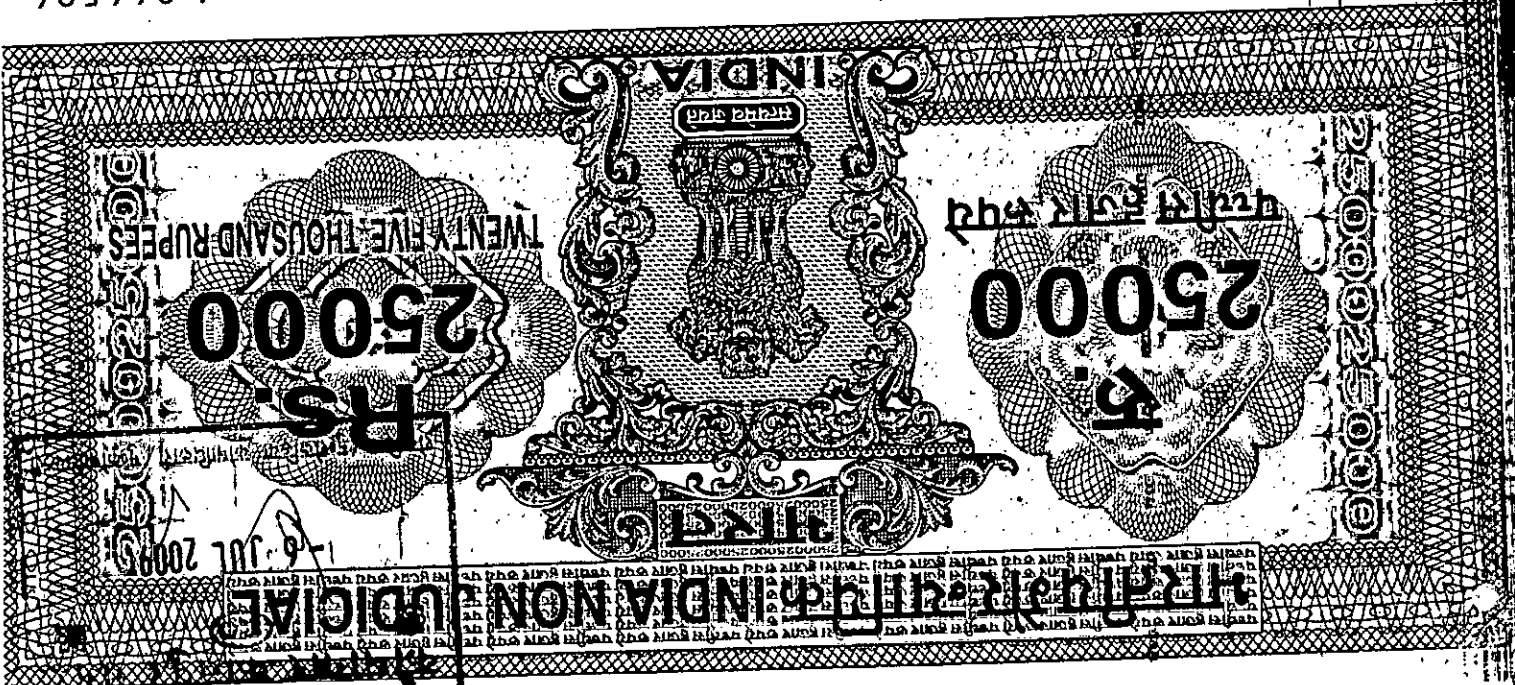
4

- (11) अनुमानित किराया : X
- (12) भवन/भूखण्ड/कृषि भूमि : आवासीय भूखण्ड, जिसपर कोई निर्माण नहीं है, कार्नर का नहीं है और जिसके सामने पार्क नहीं है
- (13) सीमा में सड़क की चौड़ाई : चारो ओर कृषि भूमि है
व स्थिति
- स्टाम्प अदायगी का विवरण :
- (1) जिलाधिकारी दर भूखण्ड : रुपया 5,000/-प्रति वर्गमीटर
- (2) निर्धारित किराया : X
- (3) आच्छादित क्षेत्र के लिये : X
निर्माण दर
- (4) भूमि का मूल्य : $598.33 \times 5000 / - =$
 $29,91,650 / -$ रुपया
- (5) निर्माण का मूल्य : X

राजेश्वरी मिश्रा

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 266506



विक्रय-पत्र

माम प्रकाश वयस्क पुत्र स्वर्गीय बैजनाथ निवासी ग्राम नारायणक बाजार, कानपुर

विक्रेता/प्रथमपक्ष

बाजार

एवं

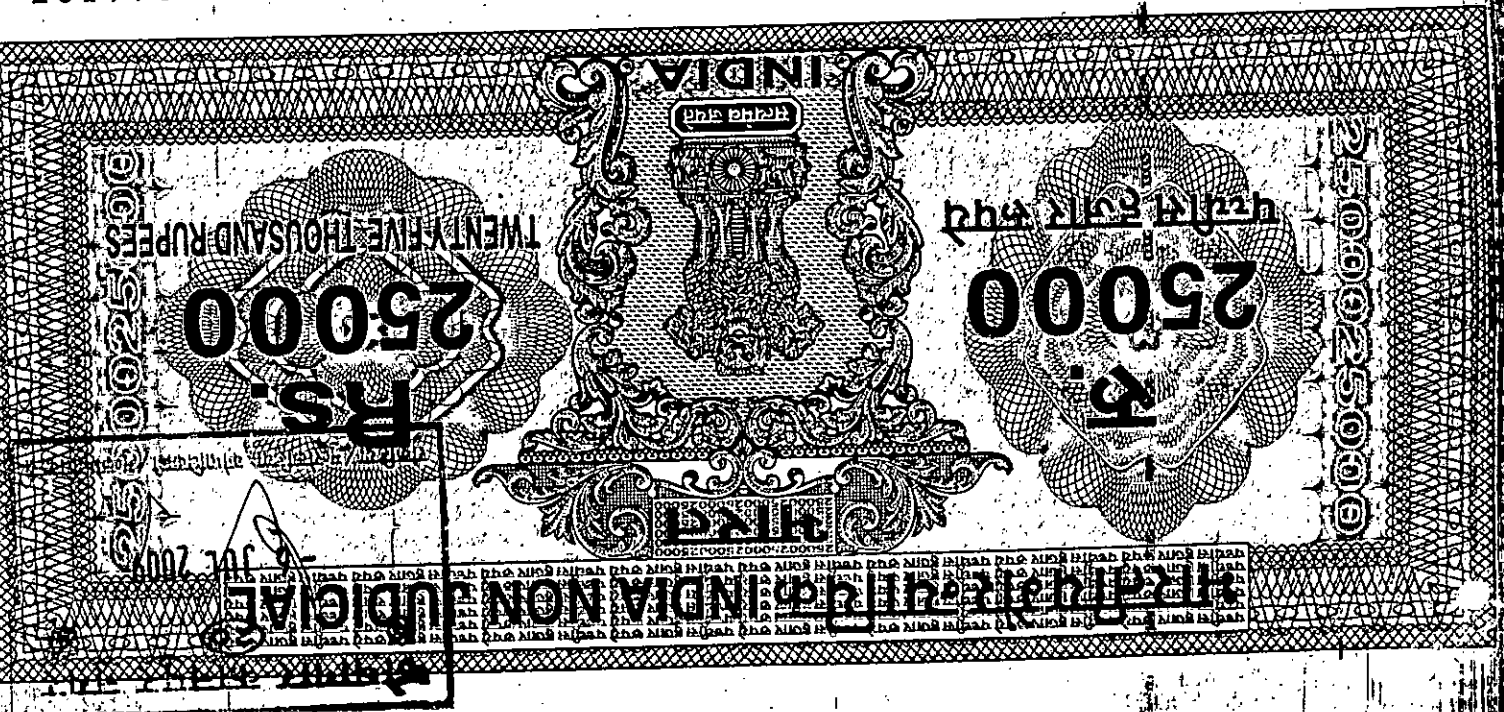
वर्तमान कालोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 7/141 ए-3, स्वरूप
बाजार कानपुर नगर द्वारा अधिकृत इस्तेफारकर्ता धनंजय निवासी वयस्क पुत्र श्री
प्रमोद चन्द्र निवासी निवासी 7/141 ए-3, स्वरूप नगर कानपुर नगर (अधिकृत
द्वारा प्रस्ताव जो बोर्ड आफ लॉयर्ड्स की मीटिंग दिनांक 1-7-2009 को
सर्वसम्मति से पारित हुआ)

21st August 2009

क्रेता/द्वितीयपक्ष

A 266507

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(पक्षों का तत्पक्ष उनके उत्तराधिकारियों, प्रतिनिधियों आदि से है) ।

विदित हो कि विक्रेता-पक्ष खाला संख्या 00087 की आराजी संख्या 3

मि. क्षेत्रफल 0.359 हेक्टर का 1/6वां भाग क्षेत्रफल 0.05983 हेक्टर अर्थात्

598.33 वर्गमीटर स्थित ग्राम नारायणगढ़ बाजार परगना व तहसील व जिला

कानपुर के स्वामी, मालिक, कानिज दखील है । आराजी उपरोक्त पक्षक

सम्पत्ति है जिसके स्वामी शिवनारायण, बैजनाथ, रामनाथ, थे जिसमें बैजनाथ

1/3 भाग के स्वामी थे उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्राण राम बाबू व राम

प्रकाश उनके भाग आराजी उपरोक्त के बराबर बराबर भाग के स्वामी हुये ।

इस प्रकार राम प्रकाश-विक्रेता खाला संख्या 00087 की आराजी संख्या 3 मि

क्षेत्रफल 0.359 हेक्टर का 1/6वां भाग क्षेत्रफल 0.05983 हेक्टर अर्थात्

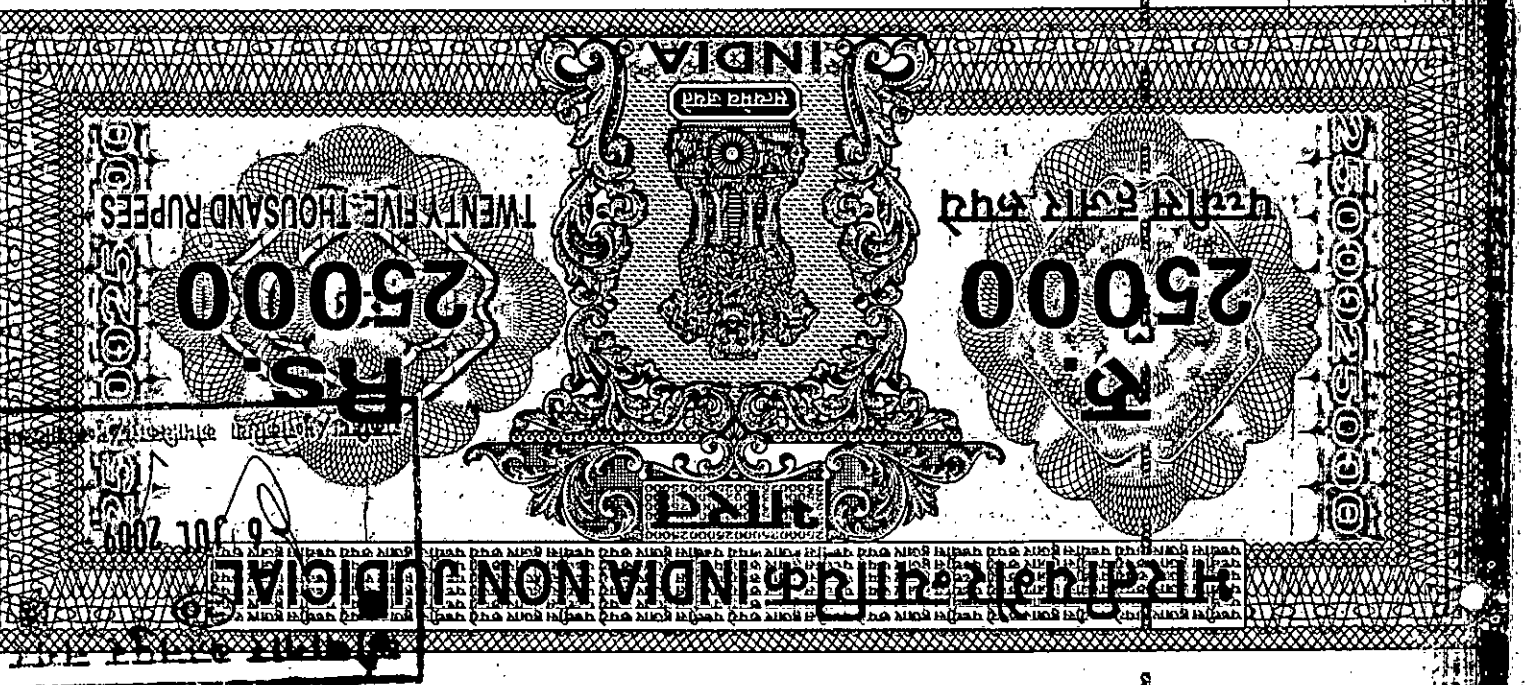
598.33 वर्गमीटर स्थित ग्राम नारायणगढ़ बाजार परगना व तहसील व जिला

21/10/2007

मि. क्षेत्रफल

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 266508



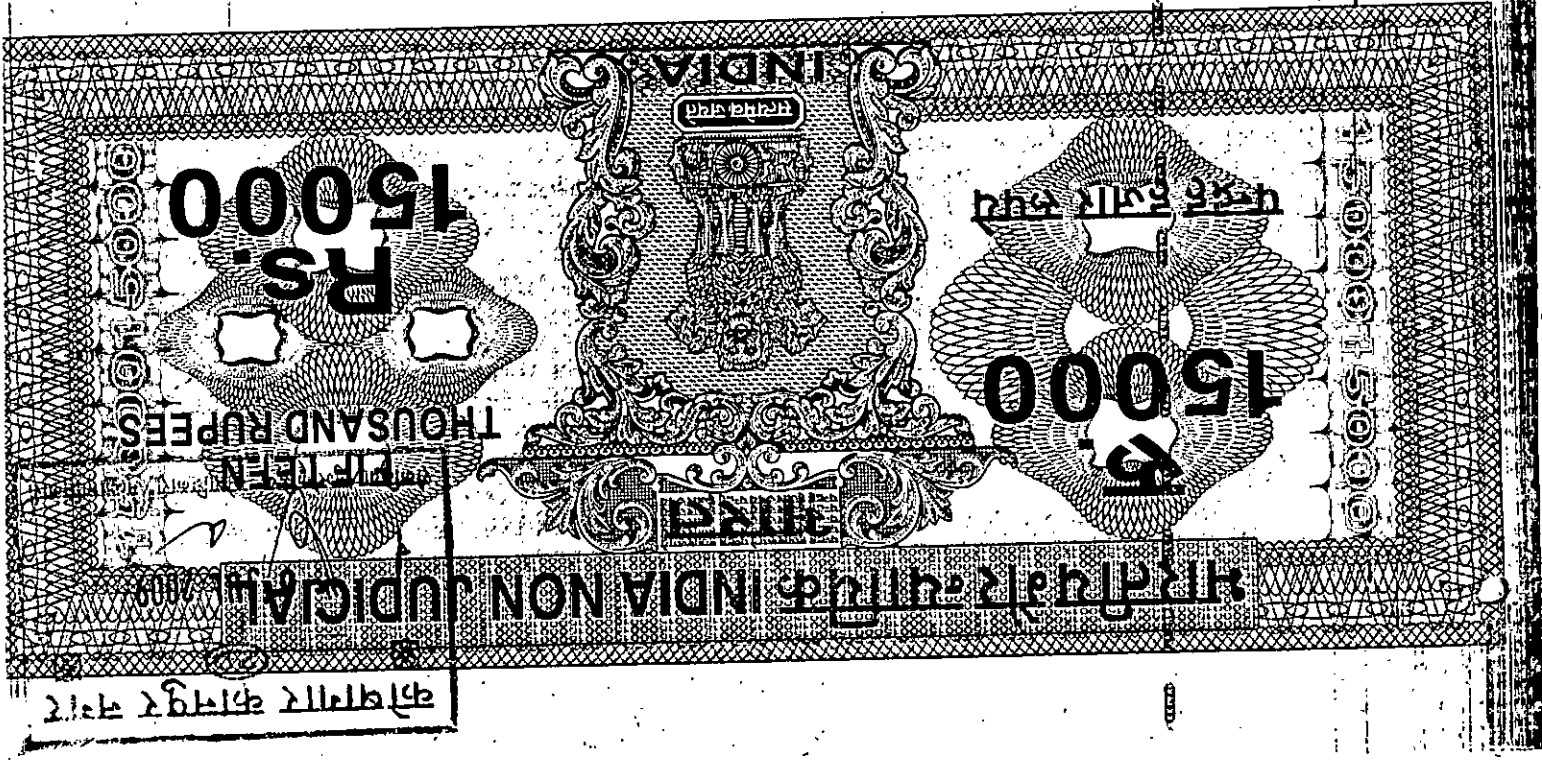
कानपुर के स्वामी, मालिक, कानिज दखील है। विकला/प्रथम पक्ष का नाम आराजी भूमि उपरोक्त पर भू राजस्व विभाग के अभिलेखों में बहसियत स्वामी अंकित बला आ रहा है और प्रथम पक्ष ही आराजी भूमि उपरोक्त पर काबल करता व लगान आदि अदा करता बला आ रहा है। प्रथम पक्ष के अलावा आराजी भूमि उपरोक्त का कोई दीगर व्यक्ति हकदार व हिस्सेदार नहीं है जो के आज दिन तक हर प्रकार की, देनदारी आदि से पाक व साफ है, कहीं किसी तौर पर दीगर जगह रहन व बय व बन्धक आदि नहीं है और प्रथम पक्ष को आराजी भूमि उपरोक्त को विक्रय करने से किसी न्यायालय के निषेधाज्ञा बादेश द्वारा रोका नहीं गया है और आराजी भूमि उपरोक्त किसी की डिक्ली में कुर्क व बरसरे नीलाम आदि नहीं है और आराजी भूमि उपरोक्त में कोई इलाक़ नकम टैक्स व सेल टैक्स व बैंक लोन या सीलिंग आदि की नहीं है और

राजकुमार शर्मा

मो. 98588 88888

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

412804

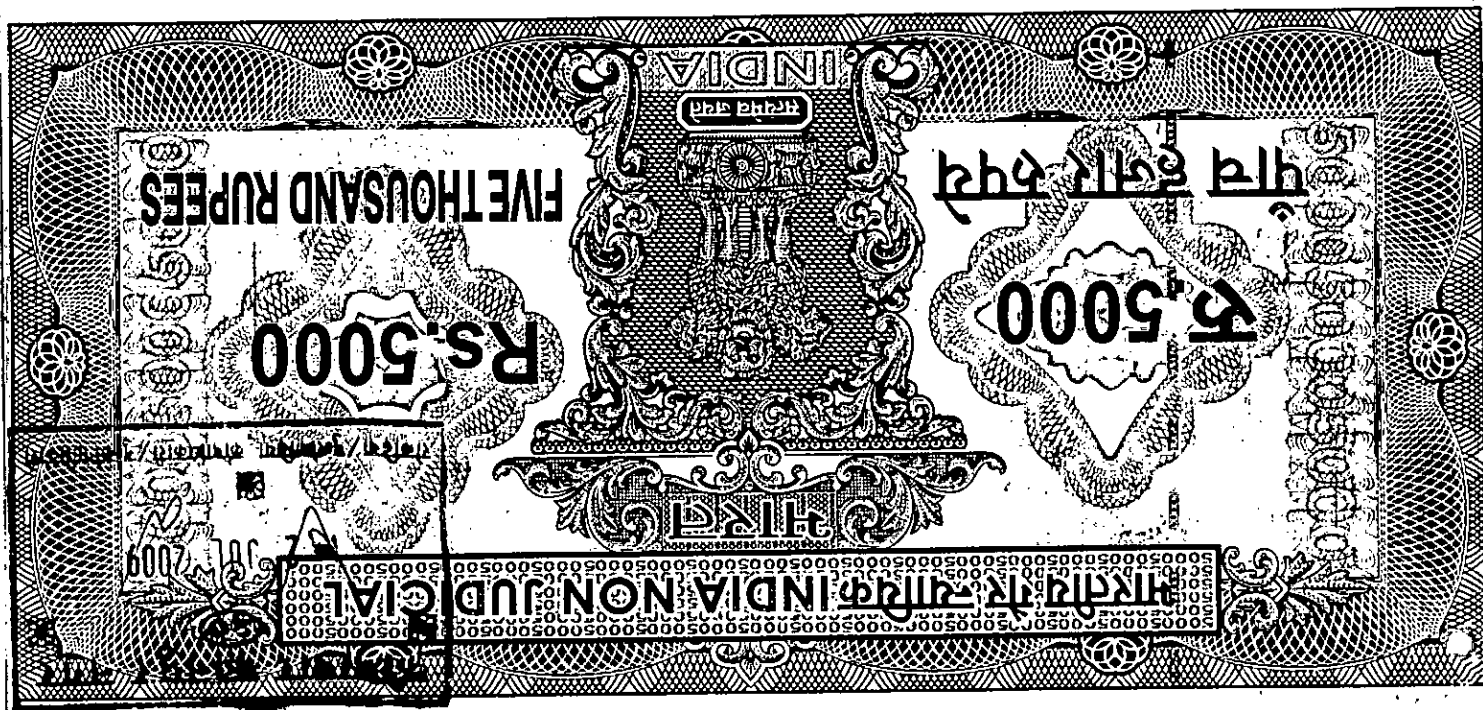


आराजी भूमि उपरोक्त किसी विभाग द्वारा अर्जित नहीं है और अर्जन सम्बन्धी कोई नोटिस आज दिन तक प्रथम पक्ष को किसी विभाग द्वारा प्राप्त नहीं हुआ। आराजी भूमि उपरोक्त आज दिन तक हर प्रकार की देनदारी आदि से मुक्त व साफ है और समस्त अधिकार मालिकाना बाबत आराजी भूमि उपरोक्त प्रथम पक्ष को हासिल है। यदि उपरोक्त बातों के विपरीत कोई बात पायी जावे तो उसकी सारी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी। चूंकि प्रथम पक्ष को इस बात का पता है कि वह उपरोक्त भूमि उपरोक्त के विक्रय करने के अलावा अन्य कोई विकल्प प्राप्त रूप्य का नजर नहीं आता है अतः प्रथमपक्ष ने आराजी भूमि उपरोक्त के विक्रय करने की बाबत बात चीत की और प्रथम पक्ष की आराजी उपरोक्त के हर प्रकार से पाक व साफ होने व तनहा अपनी सिक्युरिटी होने का यकीन व इत्मीनान दिलाने पर द्वितीय पक्ष रतन

21/12/2018

H 891468

उत्तर प्रदेश UTAR PRADESH



कालीनाइजस प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 7/141 ए-3, स्वरूप नगर
कानपुर नगर द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एनंजय तिवारी वयस्क पुत्र श्री रमेश
चन्द्र तिवारी निवासी 7/141 ए-3, स्वरूप नगर कानपुर नगर बकीमत मुबलिग
9,00,000/- रुपया में खरीद करना स्वीकार किया है कीमत निहायत उचित व
बाजार भाव है और इससे अधिक कीमत कोई निकट भविष्य में देने को तैयार
नहीं है। अतः आराजी भूमि उपर्युक्त को मय समस्त अधिकारों के मय दाखिली
व खारिजी हाल व आयन्दा सबके सब को बलकरत जायज मजकूर वाला
बिलएवज मुबलिग 9,00,000/- रुपया बदस्त द्वितीयपक्ष रतन कालीनाइजस
प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 7/141 ए-3, स्वरूप नगर कानपुर नगर
द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एनंजय तिवारी वयस्क पुत्र श्री रमेश चन्द्र तिवारी
निवासी 7/141 ए-3, स्वरूप नगर कानपुर नगर के बय कतई किया और

21/10/2021

7101-10-1

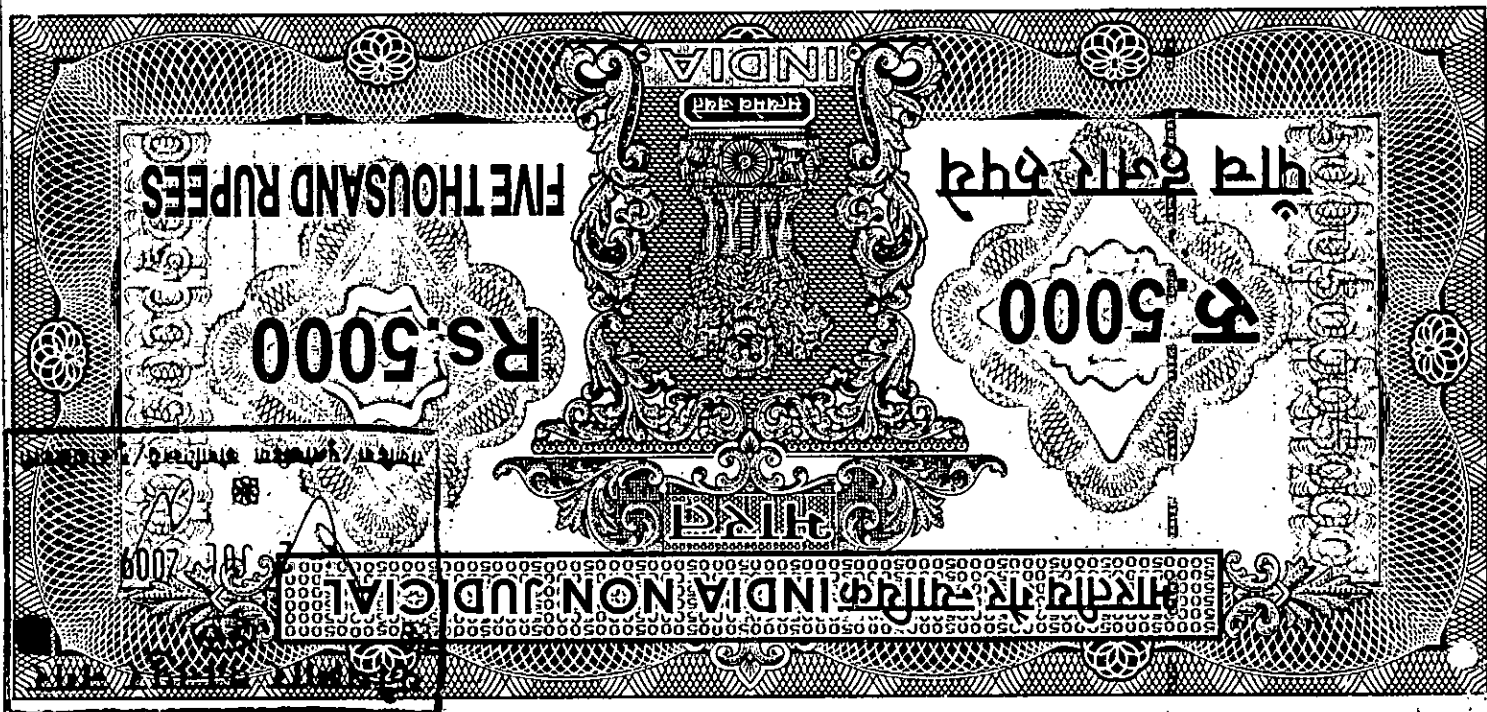
करेखा कर डाला और कुल विक्रय धन नीचे लिखे विवरणानुसार प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिया अब कोई पैसा बाबत विक्रय धन जिम्मे खरीदार द्वितीय पक्ष पाना बाकी नहीं रहा और न आयन्दा को होगा और विक्रीत भाग भाराजी उपरोक्त को प्रथम पक्ष ने अपने कब्जा व दखल मालिकाना से निकाल कर बीच कब्जा व दखल मालिकाना खरीदार द्वितीय पक्ष को दे दिया । खरीदार द्वितीय पक्ष को अधिकार है कि विक्रीत भाग भाराजी उपरोक्त को जिस प्रकार से चाहें अपने प्रयोग में लावें, रहन व बय व हिवा व वसीयत आदि करें, करायें पर उठावें अथवा कायल करें व करायें, जिस प्रकार से चाहें अपने प्रयोग व उपभोग में लावें । यदि विक्रीत भाग भाराजी उपरोक्त अथवा उसका कोई अंश द्वितीयपक्ष के कब्जा व दखल मालिकाना से निकल जाये या उसकी बाबत आज दिन तक की बाबत कुछ अदा या सर्फ करना पड़े या कोई मुकदमा

21/5/2008/11/10/11

10/11/2008

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 891469



बसिलसिले मिलिकियत लडना पड़े तो खरीदार द्वितीय पक्ष व उनके वारिसान व कायम मुकामान को अधिकार होगा कि अपना कुल या जुज विकय धन जैसी कि सूरत हो प्रथम पक्ष की वल व अवल सम्पत्ति से द्वारा न्यायालय वसूल कर बीवे और द्वितीय पक्ष खरीदार उपरोक्त को अधिकार है कि विक्रीत भाग आराजी उपरोक्त पर अपना नाम भू राजस्व विभाग के अभिलेखों में अंकित करा लेवे प्रथम पक्ष की रजामन्दी वास्ते दाखिल खारिज द्वारा बयनामा हाजा समझी जावे और यदि कोई आवश्यकता बाबत दाखिल खारिज प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर व बयान आदि की होगी प्रथम पक्ष देने के पाबन्द होंगे और समस्त शरायत विकय पूरा की पाबन्दी उभय पक्ष व उनके वारिसान व कायम मुकामान पर लालिम व

गुलिब होगी और पाबन्द रहेंगे ।

—



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

विक्रय एवं प्राप्ति का विवरण

मुबलिया 9,00,000/- नौ लाख रुपया जो कैला द्वारा विक्रेता को निम्न प्रकार

से दिया गया :-

मुबलिया 9,00,000/- रुपया जारि पे आर्डर नम्बर 025340 दिनांक 8-7-2009

यूनिटन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जयपुर

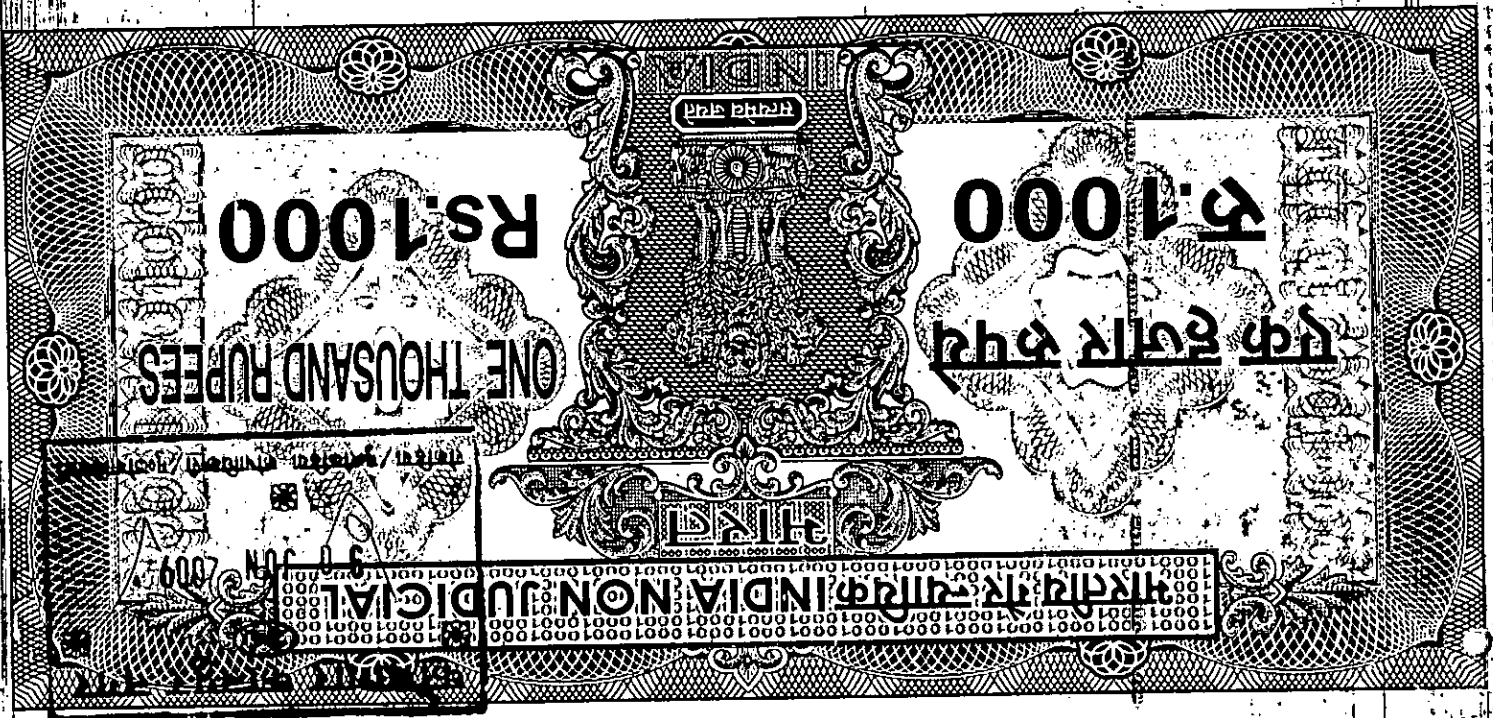
मुबलिया 9,00,000/- सम्पूर्ण विक्रयमूल्य उपरोक्तानुसार प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष

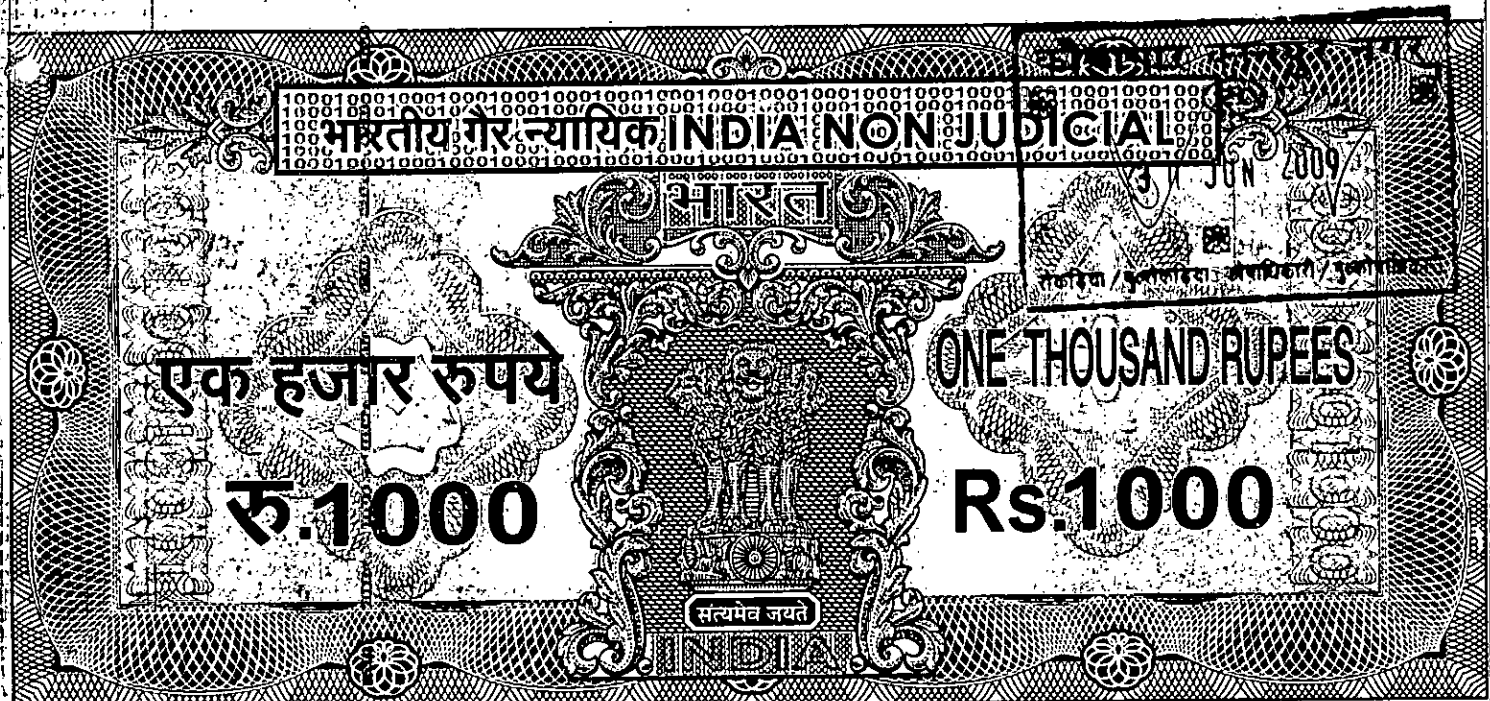
से प्राप्त कर लिया । अब विक्रयमूल्य के सम्बन्ध में

विक्रेता को कैला से कुछ भी धन प्राप्त करना शेष नहीं

रहा ।
21/08/2009

—:—





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 370815

14

विक्रेता का बाँया तथा दाँया निशानात पंजा :-

अँगूठा



तर्जनी



मध्यमा



अनामिका



कनिष्ठा



अँगूठा



तर्जनी



मध्यमा



अनामिका



कनिष्ठा



सत्यमेव जयते

—

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रोकटिका / फुटकरिका कोराबिकारी / मुला

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 370816

15

क्रेता की ओर से उसके अधिकृत प्रतिनिधि श्री धनंजय तिवारी का बॉया तथा
दॉया निशानात पंजा :-

अगूँठा

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठा

अगूँठा

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठा

रा. प्र. प्र. प्र. प्र. प्र.

—



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 805551

16

गवाहान :-

(1) *Vijay Kumar S/O Late*
Siddh Nath R/o 23 Akbarpur
Batni Kanpur Nagar

प्रथम पक्ष

Rajendra Singh

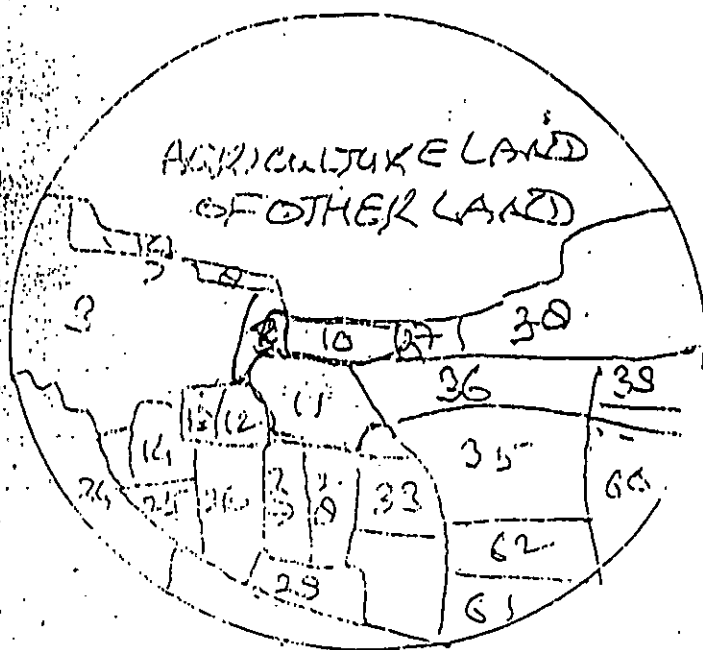
(2) *Rajendra Singh*
Rajendra Singh S/O Late
A. K. Singh S/O Late
East Kanpur Nagar

द्वितीय पक्ष

Rajendra Singh

प्रारूप अपने कार्यालय में तैयार कर
मुद्रित कराया ।

(अरविन्द कुमार श्रीवास्तव)
एडवोकेट
कोर्ट कम्पाउण्ड, कानपुर नगर ।



SIGN OF ENGINEER

2 in Gesamtzahl



16 JUL 1968

54/39, Rm 34.40

Chaturbhuj Gudi

Նաչե Շաւի, Էսքուր

आज दिनांक 09/07/2009 को
वही सं 1 जिल्द सं 4189
पृष्ठ सं 57 से 92 पर क्रमांक 2065
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

Manish

मानवेन्द्र शास्त्री

उप निबन्धक (जोन-2)

कानपुर नगर ।

9/7/2009

